



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]
No. 8]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20, 1982/फाल्गुन 1, 1903
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20, 1982/PHALGUNA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार से संबन्धों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि
के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम प्रावि सम्मिलित हैं
General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central
Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1982

सां० नं० नि० 171—कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की
धारा 10E की उप-धारा (1) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार (न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि, न्याय और कंपनी कार्य
मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की, समय-समय पर कथा सम्बंधित
धारा 15 मार्च, 1976 की संख्या में सां० नि० 242 (क) की
संशोधना में पुनः विस्तारित मशीनकृत संस्करण प्रकाशित की जाती है—

अधिनियम संशोधन के अन्तर्गत (क) में, प्रविष्टि (1) निम्नलिखित रूप में
जायोगी एवं विद्यमान प्रविष्टियां 3 से 7 का पुनः संख्यापन 2 से 6
होगा।

3 अंतर क्विन मशीनकृत। फरवरी, 1982 से प्रभावी होगा।

(सां० ए-45011/51/81-प्रशा० I]
पार० श्री० मन्मोजा, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 10th February, 1982

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by sub-
section (2) of Section 10E of the Companies Act, 1956

1287 GIBI—1

(479)

(1 of 1956), the Central Government hereby makes the
following further amendment in the Notification of the
Government of India, Ministry of Law, Justice and Company
Affairs (Department of Company Affairs) No. GSR 242 (F),
dated 15th March, 1976, as amended from time to time,
namely :—

In the said Notification in clause (a), entry (2) shall be
deleted, and the existing entries 3 to 7 shall be renumbered
as 2 to 6.

2. The aforesaid amendment takes effect from the forenoon
of 1st February, 1982.

(No. A-45011/51/81-Admn. I]
R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशासनिक सूधार विभाग)

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1982

सां० नं० नि० 174—राष्ट्रीय आरंभिक सेवाएं (गोपनीय पत्रिका)
नियम, 1970 के नियम 4 के संशोधन से और विनियम 11 नियम 1973 की संशोधना संख्या 34/4/71-सां० नि० (iii) खंड 1
(ख) का अधिनियम करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा के माध्य संयुक्त आदेश को
ऐसे प्रयुक्त के रूप में निविष्ट कर्ता है जिनमें संशुद्ध भारतीय सेवाओं के
प्रत्येक सदस्य के संबंध में गोपनीय रिपोर्ट निम्नी जायगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 विभाजन, 1981

सां० का० मि० 178--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बं० सं० जं० 01 वर्षीय प्रयोगशाळा, सिद्धी, महाराष्ट्र (श्रेणी 3) धर्ती नियमों, 1965 का परिष्करण करने हुए राष्ट्रगण एनडूजारा बं० सं० जं० 01 वर्षीय, प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र में समूह 'ग' के कुछ धर्तियों के धर्ती नियमों को पढ़ाई को निम्नलिखित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :-

1. इन नियमों का नाम बं० सं० जं० 01 वर्षीय प्रयोगशाळा, सिद्धी, महाराष्ट्र (समूह 'ग' पर) धर्ती नियम, 1981 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. उपयोग:- ये नियम इन नियमों से मूलतः अनुसूची के काल-1 में निर्दिष्ट धर्तियों पर लागू होंगे।

3. धर्तियों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-

धर्तियों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तर 3 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. धर्तियों की शिक्षा, आयुर्विमा, प्रवृत्तियाँ, आदि :-

उक्त धर्तियों पर धर्तियों की शिक्षा, आयुर्विमा, प्रवृत्तियाँ तथा वेतन मान वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तर 5 से 13 में निर्दिष्ट है।

5. धनहस्ताः कोई व्यक्ति :-

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या अिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवन रहने से एक किहीं व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का अधिकार नहीं है/होगा

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के फूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वयं शिक्षा के अधीन अनुसूची है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. छूट देने की शक्ति :-

जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है अथवा निम्न कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग के संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों से छूट दे सकती है।

7. व्याप्ति :-

इस संघ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समग्र-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शिष्ट वर्गों के व्यक्तियों को लिये जिन कारणों और अन्य विधायकों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों को किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	धर्ती की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	धन पत्र अथवा पेंशन वृद्धि पत्र	शीर्ष धर्तियों वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	शीर्ष धर्तियों वाले उम्मीदवारों के अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ
-----------	-----------------	----------	---------	--------------------------------	---	--

1	2	3	4	5	6	7
प्रयोगशाळा सहायक	(4) 16 (सोल्ड) कार्य-धनुवार इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य श्रेणी, सेवा समूह 'ग' सरकार/प्रतिष्ठान/प्राथमिक/शैक्षिक धनुवार	260-B 300-4070-8-340 10-4070-380-2070-430-3070-	अवकाश	18 से 25 वर्ष के ब. व. (सरकारी धनुदेशों और प्रादेशों के धनुवार सरकारी नदचारियों के लिए 35 वर्ष तक शि-पिलनीय)	एन० एम० एल० सी० पाठ या सम-तुल्य। वास्तव्य प्रयोगशाळा टेक्नोलॉजी में अथवा प्रयोगशाळा कार्य में तो वर्ष का धनुवार।
					<p>नोट -- आयुर्विमा अथ-धारित करने की निर्ण-यक तारीख भारत में रहने वाले प्रत्यास्थियों से (उत्तम शिक्षा जो अध-मान और निरीक्षण ईतिहास तथा लक्ष्य में रहते हैं) प्राप्त करने की प्रति-तारीख होगी।</p>	

8	9	10	11	12	13
शैक्षिक प्रयोगशाला कायूसी.म. नहीं	दो वर्ष	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और 25 प्रतिशत सं.घो. प्रतीक से	पदोन्नति : प्रयोगशाला परिषद का उम्र पर पर.कम से कम तीन वर्षों की सेवा कर चुके हों और एम. एम. सी. या उसके समतुल्य परीक्षा पास हों	विज्ञानोप पदोन्नति सामिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :- 1. निदेशक, बी. सी. जी. प्रयोगशाला, गिडी, मद्रास. —अध्यक्ष 2. दो उप निदेशक, बी. सी. जी. प्रयोगशाला, गिडी, मद्रास —सदस्य 3. सहायक निदेशक, किंग्स इन्स्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार —सदस्य	प्राप्त नहीं होगा

1	2	3	4	5	6	7
5. इण्डियन प्रयोगशाला महायुक्त	* 6 (छ.) * कन्याभार के अनुसंधान में परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय स. ग. न्य सेवा समूह "ग" घराब-पश्चिम प्रतियुक्त-कर्मियों	260-8-300- 807-8-340- 10-380-40-रो० 10-430-70	सातु नई हॉल	18 से 25 वर्ष के बीच (गरकागी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलताएं) नोट : कायूसीमा व्यवहारित करने की निर्णायक नारीछ भारत में रहने वाले शोधियों में (उनमें मिश्र ओ संश्रमाल तथा लक्ष्मीप में रहने हे) आवेदन प्राप्त करने की शक्ति नारीछ होगी।	प्रो-यूनिवर्सिटी (विज्ञान) कक्षा द्वारा संकेतनी (विज्ञान) या मयगुन्य प्रहृता/प्रयोगशाला ऐकनोवाजी इप्लोमा रखने वाली या किसी मान्यता प्राप्त उवाण विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला के कार्य में प्रशिक्षित या प्रयोग कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखने वाली को नारीछ ही आणी।

8	9	10	11	12	13
सातु नहीं होगा	दो वर्ष	75 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा और 25 प्रतिशत सीधी प्रतीक द्वारा।	ऐसे प्रयोगशाला महायुक्तों का स्थानांतरण करके जो कम से कम तीन वर्षों की सेवा कर चुके हों और एम. एम. सी. या समतुल्य परीक्षा पास हों।	विज्ञानोप पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :- 1. निदेशक, बी. सी. जी. प्रयोगशाला, गिडी, मद्रास —अध्यक्ष 2. दो उप निदेशक, बी. सी. जी. प्रयोगशाला, गिडी, मद्रास—सदस्य 3. सहायक निदेशक, किंग्स इन्स्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार—सदस्य	प्राप्त नहीं होगा

[सं ए० 12018/5/78-प्रशासन-11/जन स्वास्थ्य]

बी० के० डी० नेगी, सचिव

1	2	3	4	5	6	7
5. Senior Laboratory Assistant	6(six)*	General Central Service, Group 'C' non-gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-8-300 - EB-8-340-10-380 EB-10-430	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Pre-University (Science) or Higher Secondary Science or equivalent qualifications. Preference will be given to a candidate possessing a Diploma in Laboratory Technology or training in bacteriological work in recognised bacteriological laboratory or experience in Laboratory work for at least two years.

*Subject to variation dependent on work load.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	75% by transfer 25% by direct recruitment	Transfer of Laboratory Assistants possessing not less than three years regular service and possessing a pass in S.S.L.C. or equivalent examination.	Departmental Promotion Committee consisting of (1) Director, BCG Vaccine Laboratory, Guindy Madras (Chairman) (2) Two Deputy Assistant Directors BCG Vaccine Laboratory, Guindy Madras. (Members), (3) Assistant Director, Kings Institute, Government of Tamil Nadu (Member).	Not applicable.

[No. A-12018/5/78—Admin. II/P.H.]

B. K. D. NEGI, Under Secy.